



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 91/2025

दिनांक- 09.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-09.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-गंभीरपुर:-दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.03.2025 को राजाराम स्मारक इण्टर कालेज केन्द्र व्यवस्थापिका/प्रधानाचार्या श्रीमती रीना मौर्या द्वारा थाने पर आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आज विद्यालय में द्वितीय पाली में समय 2.00 बजे से 5.15 बजे तक इण्टर रसायन विज्ञान का पेपर होने व विद्यालय के 03 विद्यार्थियों 01. अभय पुत्र अभिमन्यु ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने रिस्तेदार अमित कुमार पुत्र जगू राम ग्राम इब्राहिमपुर थाना गम्भीरपुर के स्थान पर परीक्षा देने व 02. विशाल यादव पिता उदयचन्द्र यादव ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा अपने सम्पर्की पंकज यादव पिता रामचंदर ग्राम गन्धुई, पोस्ट संजरपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ के स्थान पर फर्जी परीक्षा देने व 03. उत्कर्ष यादव पिता विरेन्द्र यादव ग्राम जहाँनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अरविन्द यादव S/O हनुमान प्रसाद यादव ग्राम खानपुर पोस्ट फरीदूनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के स्थान पर परीक्षा दिया जा रहा था। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/2025 धारा-318(4) बीएनएस व 8/13(4) परीक्षा अधिनियम बनाम 1. अभय पुत्र अभिमन्यु ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. विशाल यादव पुत्र उदयचन्द्र यादव ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. उत्कर्ष यादव पुत्र विरेन्द्र यादव ग्राम जहाँनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 09.03.2025 को उ0नि0 संदीप दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.अभय पुत्र अभिमन्यु ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. विशाल यादव पुत्र उदयचन्द्र यादव ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. उत्कर्ष यादव पुत्र विरेन्द्र यादव ग्राम जहाँनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा गम्भीरपुर मार्टिंगंज तिराहे से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अभय पुत्र अभिमन्यु ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. विशाल यादव पुत्र उदयचन्द्र यादव ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. उत्कर्ष यादव पुत्र विरेन्द्र यादव ग्राम जहाँनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग:-

01.मु0अ0सं0 72/2025 धारा-318(4) बीएनएस व 8/13(4) परीक्षा अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



02.थाना अतरौलिया: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.03.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रूदल निषाद पुत्र स्व0 बासदेव नि0 ग्राम डोमनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 41 वर्ष को एक देशी तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ ग्राम डोमनपुर भुलईनगर के साथ समय करीब 12.44 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 79/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-रूदल निषाद पुत्र स्व0 बासदेव नि0 ग्राम डोमनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
बरामदगी –

1-एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार 2. का0 महेश सरोज थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

